

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा संख्या 114.00 के क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना नियम 2015 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

2 परिभाषाये :-

नियम संख्या	उपनियम	संशोधित
2	12	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित परिवारों से है।
	13	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित परिवारों से है।
	14	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र/राज्य की बीपीएल सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित परिवारों से है।
	15	विशेष योग्यजन से तात्पर्य 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजनों से है।
	16	महिला खिलाड़ी से तात्पर्य ऐसे महिला खिलाड़ी जिन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो।
	17	पालनहार से तात्पर्य पालनहार योजना में लाभान्वित बालिकाओं से है।

3 पात्रता :-

नियम संख्या	उपनियम	संशोधित
3	10	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार
	11	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
	10	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
	11	विशेष योग्यजन व्यक्ति (आयकर दाता नहीं हो)
	12	महिला खिलाड़ी (स्वयं का विवाह होने पर) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड रखती है। स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।
	13	पालनहार योजना में लाभान्वित

21/2



4 अनुदान :-

क. सं.	पात्रता	हथलेवा राशि	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1.	अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000 / -	-	31,000 / -
		31,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	41,000 / -
		31,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	51,000 / -
	अनुसूचित जन जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000 / -	-	31,000 / -
		31,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	41,000 / -
		31,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	51,000 / -
	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000 / -	-	31,000 / -
		31,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	41,000 / -
		31,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	51,000 / -
2.	सहयोग एवं उपहार योजना में SC/ST/Minority के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / -	-	21,000 / -
		21,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	31,000 / -
		21,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	41,000 / -
3.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / -	-	21,000 / -
		21,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	31,000 / -
		21,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	41,000 / -
4.	महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर	21,000 / -	-	21,000 / -
		21,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	31,000 / -
		21,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	41,000 / -
5.	पल्लनहार में लाभार्थियों के कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / -	-	21,000 / -
		21,000 / -	10,000 / - (10वीं पास कन्या)	31,000 / -
		21,000 / -	20,000 / - (स्नातक पास कन्या)	41,000 / -



5 प्रक्रिया:-

नियम	उप नियम	संशोधित
5	1	सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
	13	अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची क्रमांक के साथ-साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	14	अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची क्रमांक के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	15	अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची क्रमांक के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
	16	आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्ति को 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
	17	महिला खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
	18	पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की विवाह योग्य बालिकाओं के विवाह पर पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की टीप संख्या 101906228 दिनांक 28.04.2020 की सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है।


यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

213  
28/4/20  
निदेशक

क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/26020-396 जयपुर दिनांक 29/04/20

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर.....।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....।
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....।
13. रक्षित पत्रावली।

 28.4.20

(चांदमल वर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)




क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/ 49969

जयपुर दिनांक 12-10-2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया जाता है।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(ओ. पी. बुन्कर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/49970-98 जयपुर दिनांक : 12-10-2020  
प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर.....।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.....।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
14. आदेश पत्रावली।

  
(डॉ. एस. एल. पी. हाडिया)  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

## राजस्थान सरकार

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, बी -3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/ 24465

जयपुर दिनांक 11-6-2021

आदेश

ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, ऐसी कन्याओं को विभागीय आदेश क्रमांक 45327, दिनांक 13.07.2016 द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु संख्या 07 एवं 08 में पात्रता धारक आवेदकों को देय लाभ निम्नानुसार है:-

बिन्दु संख्या	विवरण	देय लाभ
07	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है/परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, उन्हें योजनान्तर्गत उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 26019, दिनांक 29.04.20 के बिन्दु संख्या 04 अनुदान के उपबिन्दु 02 में देय राशि लागू होगी।
08	ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं हैं तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।	योजना के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(ओ. पी. बुनकर)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/20-21/24466-558 जयपुर दिनांक : 11-6-21

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज0 जयपुर।
6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
8. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर.....।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.....।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है उन्हें उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने का ऑप्शन दें।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....।
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....।
14. आदेश पत्रावली।

  
(डॉ. एस. एल. पहाडिया)  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)